शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 50 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 50 अंक – 49 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 1 – 8 दिसम्बर 2025 मूल्य पांच रूपये

मौखिक सलाह के लिये लाखों का खर्च क्यों?

शिमला/शैल। सुक्खू सरकार ने अभी फिर 350 करोड़ का कर्ज विकास के नाम पर लिया है। यह कर्ज लेने के बाद सरकार का कर्जभार एक लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। अभी सरकार का कार्यकाल करीब दो वर्ष शेष है। चालू वित्त वर्ष में ही सरकार का राजकोषीय घाटा दस हजार करोड़ से बढ़कर बारह हजार करोड़ होने का अनुमान है। यह आंकड़े इस बात का सूचक है कि आने वाले समय में यह कर्जभार और भी बढ़ेगा। भारत सरकार भी प्रदेश सरकार को अन्ततः कर्ज की अनुमतियां देती रहेगी। प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा इसके लिये एक दूसरे को दोष देने की रस्म अदायगी भी निभाती रहेगी। सुक्खू सरकार ने भ्रष्टाचार पर व्यवस्था परिवर्तन करते हुये अपने सौंपे आरोप पत्रों पर जब कोई कारवाई नहीं की तो भाजपा ने भी इसी सद्भावना को बढ़ाते हुये आरोप पत्रों की संस्कृति को ही नकार दिया है। दोनों दलों के इस आपसी सौहार्द का ही परिणाम है कि रोजगार के क्षेत्र में मल्टीटास्क वर्कर से शुरू होकर आज प्रदेश मित्र योजना तक पहुंच गया है। इन योजनाओं का प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। क्योंकि भ्रष्टाचार पर सरकार का व्यवहारिक रूप क्या है यह सदन में रखी गयी कैग रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया है। कर्ज के इस पहाड़ को देखकर आम आदमी भी यह सोचने लग पड़ा है कि आखिर यह कर्ज निवेश कहां हुआ है। सरकार की योजनाओं और वायदों की व्यवहारिकता पर प्रश्न उठने लग पड़े हैं। क्योंकि सरकार के ब्यानी दावों और जमीनी हकीकत में कहीं कोई मेल नहीं है। क्योंकि योजनाओं के लाभार्थियों और उसके लिये करों के रूप में भरपाई करने वालों में तो हर आदमी शामिल है। इस स्थिति ने आम आदमी को सरकार के हर फैसले पर गुण दोष के आधार पर विवेचना शुरू कर दी है। जब इस सरकार ने कार्यभार संभाला था तब मंत्रिमंडल के गठन से पहले मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियां की गयी थी। इन नियुक्तियों के पक्ष में कई तर्क दिये गये थे। लेकिन जब इन नियुक्तियों पर उच्च न्यायालय का चाबुक चला तो इन्हें हटना पड़ा है। आज तक प्रदेश उनके बिना चल रहा है और सरकार के कामों पर कोई प्रतिफूल प्रभाव नहीं पड़ा है। इससे यह सवाल स्वतः ही खड़ा हो जाता है कि उनकी कोई कानूनी आवश्यकता नहीं थी। केवल मित्र संस्कृति का निर्वाह था। इसी तरह मुख्यमंत्री की सहायता के लिये पांच सलाहकार नियुक्त हैं। सलाहकारों की नियुक्ति के लिये कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। मुख्यमंत्री की कार्यकारी शक्तियों के तहत यह नियुक्तियां की जाती हैं। इसलिये इनके पास कोई फाइल वर्क नहीं होता है। लेकिन इनके वेतन भत्ते और अन्य सुविधायें सरकारी कोष से दी जाती है। जिस भी व्यक्ति को सरकारी कोष से भुगतान होता है वह आरटीआई के दायरे में आ जाता है। विधानसभा में विधायक सुधीर शर्मा और आशीष शर्मा के एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने यह सूचना दी है कि यह सलाहकार उन्हें मौखिक रूप में सलाह ही देते हैं। इस सूचना से यह सवाल खड़ा हो जाता है कि जब प्रदेश पहले से ही वित्तीय संकट में चल रहा था और मुख्यमंत्री को यह चेतावनी देनी पड़ी थी कि प्रदेश के हालात कभी भी श्रीलंका जैसे हो सकते हैं तो फिर मौखिक सलाह के लेने के लिए इतना बड़ा खर्च करने की क्या आवश्यकता थी। आने वाले दिनों में सरकार के इस तरह के खर्चे निश्चित रूप से चर्चा का विषय बनेगें यह तय है ।

क्या प्रदेश के तकनीकी कॉलेज सरकार की जिम्मेदारी नहीं है?

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में करीब पांच हजार बच्चे पढ़ रहे हैं। यह सारे बच्चे मतदाता हो चुके हैं और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के पांच हजार परिवारों से आते हैं। लेकिन उनकी शिक्षा के प्रति सरकार कितनी सजग और चिन्तित है इसका अन्दाजा इन कॉलेजों के हालात देखकर लगाया जा सकता है। इन कॉलेजों का प्रबंधन सरकार के हाथों में है। इन्हीं कॉलेज के आधार पर सरकार ने तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में स्थापित कर रखा है। बिलासपुर के बन्दला में देश का दूसरा हाइड्रो इंजीनियरिंग कालेज स्थापित जिसके वित्त पोषण का एक बड़ा हिस्सा हाइड्रो परियोजनाओं से आता है। लेकिन जिस तरह का प्रबंधन सरकार का इन कॉलेजों के प्रति व्यवहारिक रूप से देखने को मिल रहा है उससे लगता है कि यह संस्थान सरकार के एजेण्डे से ही बाहर है। विश्वविद्यालय परिसर सहित कई कॉलेजों में बच्चों को छात्रावास तक की सुविधा नहीं है और सरकार का इस ओर शायद ध्यान ही नहीं है। बन्दला हाइड्रो कॉलेज में छात्रावास की सुविधा है और यहां पर स्टाफ सहित करीब एक हजार बच्चे और अध्यापक है। जो इसी छात्रावास में भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन पिछले दिनों इस छात्रावास में परोसे जा रहे हैं खाने में कीड़े पाये जाने के वीडियो बड़ी मात्रा में वायरल हुये थे। खाने में कीड़े पाये जाने की शिकायतें तकनीकी शिक्षा मंत्री से लेकर अध्यक्ष फूड कमिश्न तक भी पहुंची। परन्तु किसी पर कोई असर नहीं हुआ। कॉलेज में अध्यापकों की कमी इस कदर है कि छात्रों को इसके लिये धरना प्रदर्शन तक करना पड़ा। क्योंकि कुछ विषय में पूरे शैक्षणिक सत्र में कोई अध्यापक ही नहीं था। इस धरने प्रदर्शन का संज्ञान लेने पर शीर्ष प्रशासन ने सुन्दरनगर से तकनीकी निदेशालय से इसकी रिपोर्ट तलब की और तब जाकर एक ही दिन में दूसरे कॉलेज से तीन अध्यापकों को एक सप्ताह में पूरे वर्ष का पाठयक्रम पूरा करवाने के लिये यहां तैनात किया। इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि जिस कॉलेज में वित्त पोषण का बड़ा हिस्सा हाइड्रो परियोजनाओं से आ रहा है यदि उस कॉलेज में भी

शेष पृष्ठ 8 पर.....

यह है एक ही दिन में तीन शिक्षकों की तैनाती के आदेश

DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION
VOCATIONAL & INDUSTRIAL TRAINING
HIMACHAL PRADESH: SUNDERNAGAR

No. STV (TE)HB(2)8/Requisition/GHEC/Bandla-70347 Dated: 21 Nov. 2025

To

The Director/Principal,
JNGEC Sundernagar,
District Mandi, H.P.

Subject: Regarding requirement of faculty of Computer Science and Engineering.

Sir,

On the subject cited above, it is intimated that the Director/Principal of Govt. Hydro Engineering Bandla, District Bilaspur, has requested for the faculty of Computer Science and Engineering due to shortage of faculty in CSE in his Institution.

In this context, you are directed to send Sh. Rahul Pal Singh, Assistant Professor, CSE of your Institution to Govt. Hydro Engineering College Bandla, District Bilaspur for one week w.e.f. 24-11-2025 to 29-11-2025 on urgent basis to take the classes and to cover the remaining portion of syllabus under intimation to this Directorate. Failure to comply with these orders will be viewed seriously and shall entail action as per rules.

Akshey Sood, HPAS
Director
Technical Education
Vocational & Industrial Training
Himachal Pradesh: Sundernagar

Endstt. No. As above. Dated:- 11/2025
Copy to: - The Director/Principal, Govt. Hydro Engineering College Bandla District Bilaspur, H.P. w.r.t. for information and necessary action.

Akshey Sood, HPAS
Director
Technical Education
Vocational & Industrial Training
Himachal Pradesh: Sundernagar

राज्यपाल ने आरकेएमवी में छात्राओं को 'राष्ट्र प्रथम' की भावना अपनाने का आहवान किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजकीय कन्या

महाविद्यालय शिमला के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने आधुनिकता और जीवन मूल्यों में संतुलन बनाए रखने पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी चीज का अति-उपयोग व्यक्ति को उसकी सांस्कृतिक और प्राकृतिक पहचान से दूर कर सकता है।

राज्यपाल ने महाविद्यालय की छात्राओं को शिक्षा, खेल, संस्कृति, अनुसंधान, एनसीसी, एनएसएस और सामाजिक गतिविधियों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सराहा। उन्होंने कहा कि महिलाएं राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं और जहां महिलाओं का सम्मान और विकास होता है, वही समाज प्रगति करता है।

उन्होंने छात्राओं से नई तकनीकों को अपनाने, नवाचार और शोध को प्रोत्साहित करने तथा पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारी पर ध्यान देने की अपील की। अपने संबोधन में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और 'राष्ट्र प्रथम' की भावना को अपनाने का संदेश भी दिया।

राज्यपाल ने हिमाचल में बढ़ती सिंथेटिक ड्रग 'चिट्टा' की समस्या को गंभीर चुनौती बताते हुए महाविद्यालय के एंटी-चिट्टा अभियान और छात्राओं द्वारा प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक की प्रशंसा की। उन्होंने आरकेएमवी को युवा रेडक्रॉस से औपचारिक रूप से पंजीकृत होने के लिए भी सराहा।

राज्यपाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के प्रभावी क्रियान्वयन और महाविद्यालय की भूमिका की भी प्रशंसा की। समारोह में प्राचार्य डॉ.अनुरिता सक्सेना ने राज्यपाल का स्वागत किया और वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। धन्यवाद प्रस्ताव अधिष्ठाता छात्रा कल्याण डॉ. सुरेंद्र शर्मा ने प्रस्तुत किया। लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला, राज्यपाल के सचिव सी.पी. वर्मा, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य उपस्थित थे।

राज्यपाल ने 'चिट्टे पर चोट' राज्य स्तरीय कार्यशाला का किया शुभारंभ

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने 'संजीवनी' समूह द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला 'वार

ऑन ड्रग्स-चिट्टे पर चोट' का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में राज्यपाल ने हिमाचल में बढ़ते मादक पदार्थो के खतरे पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए समाज, प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व से संयुक्त अभियान चलाने का आहवान किया।

राज्यपाल ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस कारवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए संवेदनशील सामाजिक दृष्टिकोण, पुनर्वास और सामुदायिक भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि विदेशी एजेंसियों द्वारा संचालित नशा नेटवर्क को तोड़ने के लिए जनसहयोग के बिना सफलता संभव नहीं। उन्होंने विधानसभा में सत्ता और विपक्ष द्वारा नशा-निरोध पर दिखाई गई एकजुटता की भी सराहना की।

उन्होंने कहा कि 'चिट्टे पर चोट' सिर्फ एक अभियान नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। राज्यपाल ने जोर दिया कि धार्मिक संस्थान, युवा क्लब, मीडिया, खेल संगठन और स्वयंसेवी समूह नशा-मुक्त हिमाचल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने अभिभावकों को बच्चों पर निगरानी रखने और स्कूल-कॉलेजों में नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता बताई।

राज्यपाल ने कहा कि नशे के आदी व्यक्तियों के लिए परामर्श, स्वास्थ्य सेवाएं और पुनर्वास केंद्र अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इनके प्रति संवेदनशील रवैया अपनाया जाना चाहिये। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा-मुक्त भारत अभियान से प्रेरित यह मुहिम प्रदेश में व्यापक जनसमर्थन हासिल कर रही है।

इससे पहले संजीवनी समूह के अध्यक्ष महेंद्र धर्माणी ने बताया कि संगठन 25 सितंबर 2025 को गठन के बाद से सात जिलों के 17 एनजीओ के साथ समन्वय कर नशा-निरोधक गतिविधियों को गांव-स्तर तक पहुंचा रहा है। सचिव नरेश शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा।

इस अवसर पर डीआईजी दिग्विजय नेगी, संजीवनी के सलाहकार जोगिंदर कंवर, उपाध्यक्ष नितिन व्यास, डॉ. जोगिंदर सकलानी, वरिष्ठ अधिवक्ता पीयूष वर्मा, डॉ. निधि शर्मा सहित अन्य विशेषज्ञ एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

आपदा प्रबंधन में क्षमता निर्माण पर राज्यपाल ने दिया जोर

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य रेडक्रॉस और भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी के सदस्यों ने राजभवन में

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मुलाकात की और शिमला में आयोजित तीन दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यशाला की जानकारी दी। राज्यपाल ने रेडक्रॉस के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी कार्यशालाएं आपदा प्रबंधन में तैयारियों और समन्वय को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण हैं।

कार्यशाला भारतीय और राज्य रेडक्रॉस के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई, जिसमें अंतरराष्ट्रीय रेडक्रॉस फेडरेशन के विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण दिया। रेडक्रॉस के सहायक सचिव संजीव कुमार ने बताया कि प्रशिक्षण में स्वयंसेवक प्रबंधन, समन्वय, संगठनात्मक विकास, आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया तंत्र जैसे विषय शामिल रहे। कुछ सत्र वर्चुअल माध्यम से विभिन्न जिला शाखाओं के प्रतिनिधियों के लिए भी आयोजित किये गये।

राज्यपाल ने कहा कि प्रशिक्षित स्वयंसेवक आपदा के समय समाज की महत्वपूर्ण शक्ति हैं और ऐसी पहलें नियमित रूप से आयोजित की जानी चाहिये।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादकःजे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

राज्यपाल ने महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉ. भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर राजभवन में आयोजित विशेष कार्यक्रम में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान राज्यपाल ने बाबासाहेब के सामाजिक न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित योगदान को देश की अमूल्य धरोहर बताया।

राज्यपाल ने कहा कि डॉ. अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान ने भारतीय लोकतंत्र को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया है और प्रत्येक नागरिक को अधिकारों व कर्तव्यों से अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि 'हम अपने अधिकारों के प्रति सजग रहते हैं, लेकिन उनका संरक्षण तभी संभव है जब हम अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करें।'

उन्होंने उपस्थित जनों से अपील की कि डॉ. अम्बेडकर के आदर्शों को जीवन में अपनाकर एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में योगदान देना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

राजभवन में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया

शिमला/शैल। राजभवन में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर एक सादगीपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया

गया। इस दौरान सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर मदन शील शर्मा ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को सशस्त्र सेना का झंडा लगाया। राज्यपाल ने झंडा दिवस की सभी को शुभकामनाएं देते हुए सैनिक कल्याण कोष में अंशदान किया।

सशस्त्र सेना झंडा दिवस पूरे देश में 7 दिसंबर को मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में यह अभियान 1 से 31 दिसंबर, 2025 तक चलाया जाएगा, ताकि दुर्गम क्षेत्रों के लोग भी इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकें।

राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के वीर जवान देश की तीनों सेनाओं में अपनी बहादुरी और योगदान के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से सैनिक कल्याण कोष में उदारतापूर्वक अंशदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस कोष में एकत्रित धनराशि का उपयोग शहीदों और पूर्व सैनिकों के आश्रितों की सहायता के लिए किया जाता है, इसलिए समाज के हर वर्ग को इसमें बढ़-चढ़ कर योगदान देना चाहिए।

इस अवसर पर सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

राजभवन में नागालैंड और असम स्थापना दिवस समारोह, राज्यपाल ने दी शुभकामनाएं

शिमला/शैल। राजभवन में नागालैंड और असम के स्थापना दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने की। उन्होंने प्रदेश में बसे असम और नागालैंड के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि

भारत की वास्तविक शक्ति उसकी एकता और विविधता में बसती है।

राज्यपाल ने कहा कि विभिन्न राज्यों की संस्कृति, परंपराएं और रीति-रिवाज आपसी समझ बढ़ाते हैं और 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को मजबूत बनाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम न केवल पारस्परिक संबंधों को गहरा करते हैं, बल्कि देश की जीवंत सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने का महत्वपूर्ण अवसर भी प्रदान करते हैं।

उन्होंने इसे राष्ट्र की एकता का प्रतीक बताते हुए कहा कि विविधता हमारी शक्ति है और संस्कृति हमारी पहचान।

कार्यक्रम में राज्यपाल ने असम और नागालैंड के अतिथियों को हिमाचली टोपी और शॉल भेंट कर सम्मानित किया।

इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला और राज्यपाल के सचिव सी.पी. वर्मा भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री आईजीएमसी के वार्षिक समारोह 'स्टीमुल्स 2025-26' में शामिल

चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनेक बड़ी घोषणाएं

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय (आईजीएमसी) में केंद्रीय छात्र संघ द्वारा आयोजित वार्षिक समारोह 'स्टीमुल्स-2025-26' का उद्घाटन किया। उन्होंने छात्रों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि आईजीएमसी के छात्र देश-विदेश में हिमाचल का नाम रोशन कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए कई घोषणाएं कीं। उन्होंने पीजी रेजिडेंट छात्रों का स्टाइपेंड बढ़ाकर प्रथम वर्ष 50 हजार, दूसरे वर्ष 60 हजार और तीसरे वर्ष 65 हजार रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की। आईजीएमसी के लिए लेप्रोस्कोप में 5 करोड़ रुपये और एनेस्थीसिया विभाग को मजबूत करने के लिए 6 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के पांच प्रमुख मेडिकल कॉलेजों को विश्वस्तरीय तकनीक से लैस किया जा रहा है। प्रत्येक कॉलेज में बोन मैरो ट्रांसप्लांट अधोसंरचना के लिए 5-5 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे और स्मार्ट लैब स्थापित करने के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि रोबोटिक सर्जरी की सुविधा पहले चरण में आईजीएमसी, चमियाणा और टांडा में शुरू की गई है। पुराने उपकरणों को बदलने और आधुनिक तकनीक से स्वास्थ्य संस्थानों को लैस करने में 3,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जा रहे हैं।

चिकित्सा शिक्षा में सुधार के तहत पीजी पाठयक्रम और तकनीकी सीटों में वृद्धि की गई है। रेजिडेंट डॉक्टरों की लगातार ड्यूटी 36 घंटे से घटाकर 12 घंटे की गई है और आपात सेवाओं के लिए 57 कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर व 32 विशेषज्ञ पद सृजित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, चमियाणा सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और आईजीएमसी में ट्रॉमा सेंटर और नया ओपीडी ब्लॉक आरम्भ किया गया है। समारोह में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले छात्रों और चिकित्सकों को सम्मानित किया गया, जबकि सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को आकर्षक बनाया।

इस अवसर पर महापौर सुरेंद्र चौहान, उपायुक्त अनुपम कश्यप, पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी, निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ. राकेश शर्मा, वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राहुल राव और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा के 63 वें स्थापना दिवस की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला के सरघीण में हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा के 63वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने विभाग के कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट योगदान और प्रदेश की सुरक्षा तथा विकास में अहम भूमिका निभाने के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्षभर में गृह रक्षा और अग्निशमन सेवाओं ने 708 खोज एवं बचाव अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और 448 लोगों की जान बचाई।

सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है। अग्निशमन विभाग में महिलाओं को शामिल करने के लिए भर्ती नियमों में बदलाव किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में होम गार्ड की नई भर्ती शीघ्र शुरू की जाएगी।

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में चार नई अग्निशमन इकाइयां स्थापित की गई हैं-देहा, उबादेश, नेरवा और इंदौरा। इस वर्ष 27 नई अग्निशमन वाहनें खरीदी गई और इन इकाइयों के लिए 150 पद स्वीकृत किये गये। अग्निशमन आधुनिकीकरण योजना के तहत 55 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। एसडीआरएफ की संचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 6 करोड़ रुपये के उन्नत उपकरण, जिनमें ड्रोन शामिल हैं, खरीदे गये हैं।

मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए होम गार्ड में मातृत्व अवकाश की सुविधा की भी घोषणा की। उन्होंने नशा निवारण पर आधारित ''मिरेकल ऑफ माइंड एप'' का लॉन्च किया। इसके साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली वाहिनियों और कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया।

इस अवसर पर ''सुरक्षित हिमाचल'' प्रदर्शन भी आयोजित किया गया, जिसमें अग्निशमन और खोज एवं बचाव मॉकड्रिल मुख्य आकर्षण रहे। अतिरिक्त महानिदेशक सतवंत अटवाल त्रिवेदी ने विभाग की गतिविधियों की जानकारी दी और डिप्टी कमांडेंट जनरल अरविंद पराशर ने आभार प्रस्ताव प्रस्तुत किया। समारोह में ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्याम भगत नेगी, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में हिमाचल अग्रणी, सुशासन मॉडल को राष्ट्रीय पहचान

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश को डिजिटल सुशासन में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से पहला 'पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवॉर्ड' मिला है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सुशासन और शिक्षा में डिजिटलीकरण को प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया और इसे हिमाचल को उभरते आईटी हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम करार दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागीय प्रक्रियाओं और सेवाओं का डिजिटलीकरण कार्य क्षमता, पारदर्शिता और नागरिक सुविधा में सुधार ला रहा है। प्रदेश में अब 632 कार्यालय ई-ऑफिस प्रणाली से संचालित हो रहे हैं, जिनमें सचिवालय शाखाएं, निदेशालय, उपमंडलाधिकारी और अन्य फील्ड कार्यालय शामिल हैं।

सरकार ने बोनाफाईड हिमाचली, कानूनी उत्तराधिकारी, भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र, बीपीएल, यूटिलिटी बिल भुगतान और बेटी है अनमोल योजना जैसी सेवाओं को डिजिटल किया है। 'माई डीड' और 'सरल जमाबंदी' मॉड्यूल से संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया आसान हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में 1,226 नये लोकमित्र केंद्र स्थापित किये गये हैं, जिससे लोग घर के पास ही डिजिटल सेवाओं का लाभ ले पा रहे हैं।

'हिमसेवा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल' के माध्यम से अब 449 सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। इसके तहत 233 नई सेवाएं भी जोड़ी गई हैं। डिजिटल एकीकरण और 'हिम परिवार' एवं 'हिम एक्सेस कार्ड' के डिजिटलीकरण के लिए राज्य को 'पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवॉर्ड' मिला।

इसके अतिरिक्त, राज्य को 0-5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आधार नामांकन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का सम्मान और 'मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन' को नवाचार व डिजिटल परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

राज्य सरकार वाकनाघाट में प्रस्तावित साइबर सिटी और कांगड़ा-शिमला में आईटी पार्क विकसित कर रही है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पीडीएस में फेस ऑथेंटिकेशन, ड्रोन का उपयोग कृषि, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन में, तथा हिमाचल की पहली डिजिटल लाइब्रेरी बिलासपुर में स्थापित करना जैसे कदम डिजिटल प्रगति के संकेत हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षों की ये उपलब्धियां राज्य की प्रगति, विकास और समृद्धि के प्रति सरकार के व्यावहारिक दृष्टिकोण का प्रमाण हैं।

मुख्यमंत्री ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि

शिमला/शैल। भारत रत्न और संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने चौड़ा मैदान स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने बाबासाहेब के योगदान को याद करते हुए कहा कि डॉ. अम्बेडकर केवल एक महान राजनीतिज्ञ ही नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव के अग्रदूत और समानता एवं न्याय के प्रबल समर्थक थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण करते समय डॉ. अम्बेडकर ने हर वर्ग के अधिकारों को सुनिश्चित किया, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत आधार मिला। उन्होंने कहा उनकी विचारधारा और संघर्ष आज भी आधुनिक भारत के निर्माण में मार्गदर्शक हैं।

पुण्यतिथि कार्यक्रम में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, उप महापौर उमा कौशल, महाधिवक्ता अनूप रत्न, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर, पार्षदगण, उपायुक्त अनुपम कश्यप, पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कम अनुपात वाले क्षेत्रों में विशेष अभियान तेज करने के निर्देश

शिमला/शैल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) हिमाचल प्रदेश, नंदिता गुप्ता ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती में महिलाओं की भागीदारी निर्णायक भूमिका निभाती है। उन्होंने बताया कि भारत स्वतंत्रता के तुरंत बाद से महिलाओं को मताधिकार प्रदान करने वाला अग्रणी देश रहा है, और निर्वाचन आयोग लगातार महिला मतदाताओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रयासरत है।

सीईओ ने कहा कि विधानसभा क्षेत्रों में महिला मतदाता लिंग अनुपात सुधारने के लिए विशेष रणनीति अपनाई गई है। फोटोयुक्त मतदाता सूचियों-2025 के अंतिम प्रकाशन के दौरान प्रदेश का महिला मतदाता लिंग अनुपात 981 था, जो अब बढ़कर 983 हो गया है। उन्होंने बताया कि पिछले छः महीनों में कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। इनमें भरमौर, इंदौरा, फतेहपुर, करसोग, सिराज, द्रंग, चिंतपूर्णी, नालागढ़, कसौली, शिलाई, शिमला, रामपुर और रोहडू सहित कई निर्वाचन क्षेत्रों में महिला मतदाता अनुपात में वृद्धि देखी गई है।

इसी क्रम में, गुप्ता ने ग्राम पंचायत बालीकोटी और बांदली का दौरा कर स्थानीय महिलाओं से संवाद किया और मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने की प्रक्रिया का स्वयं निरीक्षण किया। बूथ स्तर अधिकारियों की सहायता से दो पंचायतों के 14 मतदान केंद्रों में 148 महिलाओं तथा शिलाई विधानसभा क्षेत्र के अन्य 97 केंद्रों में 185 महिलाओं सहित कुल 333 पात्र महिलाओं का तुरंत पंजीकरण सुनिश्चित किया गया।

सीईओ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में महिला मतदाता अनुपात अभी भी राज्य औसत से कम है, वहां विशेष जागरूकता अभियान तेज़ किए जायें। उन्होंने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस अभियान की प्रगति नियमित रूप से भेजने के निर्देश भी प्रदान किये।

गुप्ता ने कहा कि महिला मतदाता लिंग अनुपात में आया यह सुधार प्रदेश में महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक जागरूकता और लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति सक्रियता को दर्शाता है।

ई-रिक्शा परमिट पर सरकार की नई अधिसूचना जारी 400 परमिट स्वीकृत

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार ने ई-रिक्शा संचालन को विनियमित करने के लिए नई अधिसूचना जारी करते हुए राज्य के चुने हुए उप-मंडलों में कुल 400 ई-रिक्शा परमिट की अनुमति दी है। परिवहन विभाग ने बताया कि यह निर्णय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों और पहाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लिया गया है।

अधिसूचना के अनुसार, कांगड़ा जिले में पालमपुर में 30, धर्मशाला मैक्लोडगंज में 36 परमिट मिलेंगे। चंबा के सदर में 5, भटियात में 9, किन्नौर के रिकांगपिओ कल्पा में 15, सांगला में 10, सिरमौर के नाहन में 15, राजगढ़ में 2 परमिट स्वीकृत किए गए हैं।

मंडी जिले में जोगिंदर नगर 15, पधर 35, सरकाघाट 5, धर्मपुर 5, जबकि कुल्लू जिले में कुल्लू 30, भुंतर 15, बंजार 20, मनाली 30, पतलीकुहल 15 और नग्गर में 15 परमिट दिए जाएंगे। शिमला के ठियोग में 6, रोहडू में 20, सोलन में कंडाघाट 3, अर्की 2, नालागढ़ 10, बद्दी 15, और ऊना जिले के हरोली में 17, जबकि शेष ऊना क्षेत्र में 20 परमिट की अनुमति होगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन चिन्हित उप-मंडलों में केवल ई-रिक्शा के नए पंजीकरण की ही अनुमति होगी। बाकी उप-मंडलों में नए ऑटो-रिक्शा या ई-रिक्शा का पंजीकरण और संचालन प्रतिबंधित रहेगा, हालांकि पूर्व में वैध परमिट पर चल रहे ऑटो-रिक्शा इस प्रतिबंध से मुक्त होंगे।

अधिसूचना के तहत प्रत्येक ई-रिक्शा को अपने संबंधित उप-मंडल मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर ही संचालन की अनुमति होगी। एक बार किसी उप-मंडल में पंजीकरण होने पर उसका मुख्यालय स्थायी और अपरिवर्तनीय रहेगा। निर्धारित क्षेत्र से बाहर संचालन को अधिसूचना और मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा।

गहरी आस्था से कही गई 'नहीं', केवल खुश करने के लिये या इससे भी बदतर, परेशानी से बचने के लिए कही गई 'हां' से बेहतर है। .....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

क्या देश का हर आदमी 4.8 लाख का कर्जदार है

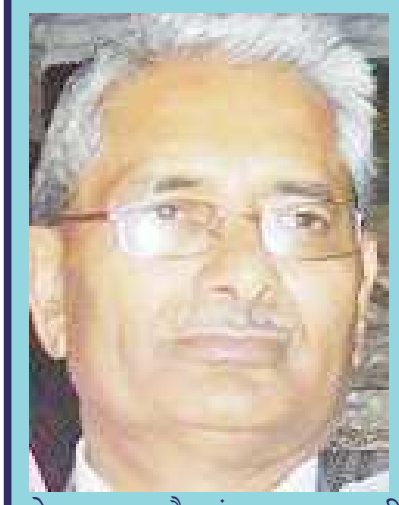

इस समय देश के हर व्यक्ति पर करीब 4.8 करोड़ का कर्ज है। 2014 में देश पर करीब 49 लाख करोड़ का कर्ज था जो अब बढ़कर 185.94 लाख करोड़ हो गया है। कर्ज के यह आंकड़े राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में आये हैं। व्यापार में आयात लगातार बढ़ रहा है और निर्यात कम होता जा रहा है। रूपया डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर होता जा रहा है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि डॉलर की कीमत 100 रूपये तक जा सकती है। आर्थिकी के यह आंकड़े किसी को भी विचलित कर सकते हैं क्योंकि बढ़ता कर्ज हर अनुमान को तहस–नहस कर सकता है। इसी बढ़ते कर्ज का परिणाम है कि महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या देश की सरकार इसके प्रति चिंतित है? क्या सरकारी ईमानदारी से इस समस्या को हल करने का प्रयास कर रही है? बढ़ते कर्ज, महंगाई और बेरोजगारी का अंतिम परिणाम क्या होगा? पिछले दस वर्षो में कर्ज में चार गुना से भी अधिक की बढ़ौतरी हुई है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि यह कर्ज कहां निवेश हो रहा है? क्योंकि इस अवधि में सरकार ने कोई नया सार्वजनिक उपक्रम तो स्थापित नहीं किया है उल्टे पहले से चले आ रहे संस्थानों को प्राइवेट सेक्टर के हवाले करने का ही काम किया है। विश्व की तीसरी, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के जो सपने परोसे गये हैं क्या उसका परिणाम है यह बढ़ता कर्च? आर्थिकी के यह आंकड़े हर व्यक्ति के सामने रहने चाहिये क्योंकि इसी दौर में देश ने नोटबंदी भी भोगी है। इन्हीं आंकड़ों के आईने में सरकार के चुनावी वायदों को तोलना होगा। यह फैसला करना होगा कि एक सौ चालीस करोड़ के देश में अस्सी करोड़ लोगों की सरकारी राशन पर निर्भरता एक उपलब्धि है या अभिशाप।

इसी परिदृश्य में यह समझना भी आवश्यक हो जाता है कि भ्रष्टाचार और काले धन के जिन आंकड़ों पर अन्ना और रामदेव के आन्दोलन हुये थे उनका व्यावहारिक सच क्या है? काले धन के आंकड़ों में बढ़ौतरी हुई है और जिस भी भ्रष्टाचारी पर जितने बड़े आरोप लगे वह भाजपा में शामिल होते ही पाक साफ हो गया। आज भाजपा खुद कांग्रेस युक्त हो गयी है। हर दल का बड़ा भ्रष्टाचारी भाजपा में शामिल होकर पाक साफ हो गया है। पिछले एक दशक में न्याय बुलडोजर जस्टिस तक पहुंच गया है। चुनावों में लगातार सफलता का श्रेय देश के चुनाव आयोग के नाम जाता है क्योंकि वोट चोरी के आरोपों ने यह सच देश के सामने पूरे प्रमाणिक दस्तावेजों के साथ परोस दिया है। वोट चोरी का आरोप आज हर आदमी की जुबान पर आ गया है। भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस को अपने दम पर नेता प्रतिपक्ष के मुकाम तक पहुंचा दिया है। अब यह ''वोट चोर गद्दी छोड़'' कांग्रेस को और सशक्त बनाएगा यह तय है।

लेकिन इसी वस्तुस्थिति में कांग्रेस को अपने ही भीतर बैठे भाजपा और दूसरे दलों के स्लीपर सैलों से सावधान रहने की आवश्यकता है। क्योंकि हर चुनाव के दौरान कांग्रेस का कोई न कोई नेता ऐसा ब्यान देता आया है जिसने पार्टी को अर्श से फर्श पर लाने का काम किया है। राहुल गांधी ने जब कांग्रेस के अन्दर बैठे स्लीपर सैलों को ललकारा था उन्हें अब सही में पार्टी से बाहर करने का समय आ गया है। आज के कांग्रेसियों को संघ के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक चिन्तन के बारे में कोई बुनियादी जानकारी नहीं है। उन्हें संघ के चिन्तन की जानकारी देनी होगी। क्योंकि भाजपा का संघ के बिना कोई बुनियादी आधार ही नहीं है। यदि कांग्रेस यह नहीं कर पाती है तो देश और पार्टी दोनों के का ही बड़ा अहित होगा। कांग्रेस को संघ के चिन्तन को समझना होगा।

आज उग्रवाद व इस्लामोफोबिया जैसे दो–दो चुनौतियों का सामना कर रहे हैं मुसलमान, संवाद और सौहार्द ही इसका समाधान

गौतम चौधरी

भारतीय मुस्लिम दोहरी चुनौतियों का सामना कर रहा है। पहला तो आतंकवाद है, विशेषकर गैर–मुसलमानों को निशाना बनाने वाले हिंसक कृत्यों और उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले शारीरिक हमलों, इस्लामोफोबिया आदि और दूसरा है हाशिए पर धकेले जाने और सामाजिक बहिष्कार जैसी चुनौतियां। अप्रैल 2025 में पहलगाम हमला और हालिया लाल किला विस्फोट में उग्रवादी तत्वों ने पर्यटकों को निशाना बनाया, जिसमें एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी कार को उड़ा दिया, जिससे कई नागरिकों की मृत्यु हो गई। इन दोनों घटनाओं ने राष्ट्र को झकझोर कर रख दिया और किसी न किसी रूप में व्यापक साम्प्रदायिक तनाव को भी जन्म दिया। इन घटनाओं के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने मुस्लिम समुदाय, उसके शैक्षणिक संस्थानों और सामुदायिक केंद्रों की गहन जांच की। इसके कारण मुसलमानों में एक डर तो पैदा हुआ ही। यही नहीं कई प्रवासी मजदूरों पर हमलों की घटनाएं राष्ट्रीय सुर्खियां भी बटोरी। गैर–मुसलमानों के विरुद्ध हिंसा की ये घटनाएं, जिन्हें कट्टरपंथी तत्वों ने अंजाम दिया, पूरे मुस्लिम समुदाय की छवि पर गहरा प्रभाव डाला। भारत के मुसलमान, जो देश की सामाजिक संरचना का एक जीवंत और अविभाज्य हिस्सा हैं, इन चुनौतियों के कारण गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उग्रवादी तत्वों की गतिविधियों से इस्लाम को हिंसा से जोड़कर देखे जाने की प्रवृत्ति भारत और भारतीय मुसलमानों की सदियों पुरानी सह–अस्तित्व, परस्पर सम्मान और बहुलतावाद की परंपराओं को चुनौती देती है। इस प्रकार की घटनाओं को मुसलमानों को किस तरह लेना चाहिए और गैर–मुसलमानों को किस प्रकार सोचना चाहिए, इसकी मुकम्मल मिमांसा, बेहद जरूरी है।

भारतीय मुसलमानों के सामने सबसे बड़ी कठिनाइयों में से एक है चरमपंथियों के कृत्यों के कारण उनके धर्म का लगातार गलत चित्रण। भारत और दुनिया के अधिकांश मुसलमान आतंकवाद और हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं। इसके बावजूद सनसनीखेज घटनाएं और उनसे उत्पन्न पूर्वाग्रह एक ऐसा कथानक बनाते हैं जो पूरे समुदाय को अनुचित रूप से संदेह के दायरे में लाकर खड़ा कर देता है। यह न केवल अविश्वास और अलगाव को बढ़ाता है, बल्कि भारतीय मुसलमानों पर अपनी देशभक्ति और शांति के प्रति प्रतिबद्धता को बार–बार साबित करने का सामाजिक और नैतिक बोझ भी डालता है। चुनौती दोहरी है, एक ओर आतंकवाद का मुकाबला और दूसरी ओर उसके बाद उभरने वाले व्यापक पूर्वाग्रहों का जवाब।

इस्लामी समुदाय को उग्रवाद, आतंकवाद और गैर–मुसलमानों के विरुद्ध हिंसा की चुनौती का सामना बहुआयामी रणनीति अपनाकर करना होगा। इसके लिए वैश्विक समुदाय पर यह दबाव भी बनाना होगा कि वह इस्लाम को सभी प्रकार के आतंकवाद, उग्रवाद और हिंसा से अलग पहचान देने वाले प्रस्ताव पारित करे। प्रवासी समुदायों, नागरिक समाज और विभिन्न दबाव समूहों को एक सार्वभौमिक डीरैडिकलाइजेशन चार्टर पारित कराने पर जोर देना चाहिए। जिस प्रकार अन्य आस्था वालों के आतंकवादियों को आस्था से अलग पहचान दी गयी है उसी प्रकार इस्लाम के साथ भी करना होगा। विश्वभर के मुसलमानों, विशेषकर भारतीय मुसलमानों की प्रमुख रणनीतियों में एक यह होनी चाहिए कि वे भारतीय इस्लाम की उस समृद्ध परंपरा से प्रेरणा लें जिसने हमेशा बहुलतावाद और अंतरधार्मिक सौहार्द को महत्व दिया है। भारतीय मुस्लिम समुदाय ने सदैव एकता में विविधता का समर्थन किया है और सूफ़ी परंपराओं से प्रेरणा ली है, जो सम्पूर्ण मानवता के प्रति करुणा का संदेश देती हैं। भारतीय मुसलमानों को चाहिए कि वे अपनी इस विचारधारा को एक वैश्विक अभियान में बदलें। इस प्रकार के अभियान में भारत सरकार को भी सहयोग करना चाहिए। इस अभियान में धार्मिक संस्थानों, उलेमाओं, विद्वानों और नागरिक समाज को सक्रिय रूप से जोड़ते हुए एक शांतिपूर्ण, करुणामय और समावेशी इस्लाम का संदेश विश्व स्तर पर पहुंचाया जा सकता है। ऐसे सम्मेलनों, अंतरधार्मिक संवादों, सांस्कृतिक आदान–प्रदान और सामुदायिक सहयोगी परियोजनाओं के माध्यम से और मजबूत किया जा सकता है।

एक अन्य महत्वपूर्ण उपाय यह है, चरमपंथी विचारधारा का मुकाबला करने के लिए मजबूत बौद्धिक प्रतिवर्णन (काउंटर–नैरेटिव) विकसित किया जाए। इस्लामी विद्वानों और समुदाय के नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे समुदाय के भीतर और बाहर दोनों जगह यह स्पष्ट करें कि इस्लाम निर्दोषों की हत्या और आतंक फैलाने वालों को किसी कीमत पर तरजीह नहीं देगा। इसके लिए यदि कुछ धार्मिक स्तर पर बहिष्कार आदि की जरूरत हो तो उसे भी करना चाहिए। इसके अलावा शैक्षिक सेमिनार, ऑनलाइन अभियान और बहुभाषी साहित्य आतंकवादी संगठनों के प्रचार का प्रभावी जवाब बन सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों की सही व्याख्या कर और असली संदेश को सामने लाकर उग्रवाद की वैचारिक बुनियाद को चुनौती दी जा सकती है। जमीनी स्तर पर कट्टरपंथ के प्रति सतर्कता बढ़ाना आवश्यक है। परिवार, स्कूल और मस्जिदें युवाओं में किसी भी प्रकार की संवेदनशीलता को पहचानने और उन्हें कट्टरपंथी प्रभावों से दूर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। सामुदायिक संगठनों को काउंसलिंग केंद्र, हेल्पलाइन और मेंटरशिप कार्यक्रम स्थापित करने चाहिए ताकि युवा सकारात्मक गतिविधियों में शामिल रहें। मुस्लिम युवाओं को नागरिक गतिविधियों, खेल, कला और सामाजिक सेवा से जोड़ना कट्टरपंथी भर्ती के खिलाफ सुरक्षा कवच का काम करेगा।

आतंकवाद का मुकाबला करते हुए इस्लामी समुदाय और भारतीय मुसलमानों को इस्लामोफोबिया के बढ़ते खतरे से भी निपटना होगा, जो अक्सर हिंसक घटनाओं के बाद सामने आता है। भेदभाव, घृणास्पद भाषण और सामाजिक बहिष्कार युवाओं में असुरक्षा की भावना बढ़ाकर कट्टरपंथ की जमीन तैयार करता है। इसलिए आवश्यक है कि मुसलमान अन्य समुदायों से संवाद करते रहें। राष्ट्रीय विमर्श में सक्रिय रूप से भाग लें और समान नागरिक के रूप में अपने अधिकारों का दृढ़ता से दावा करें। अन्य हाशिए पर मौजूद समूहों और प्रगतिशील वर्गो के साथ गठजोड़ कर सभी प्रकार की घृणा और हिंसा के विरुद्ध व्यापक मोर्चा तैयार किया जा सकता है। वैसे यहां एक बात और बता दें कि समुदाय को आत्ममंथन और सुधार से भी कतराना नहीं चाहिए। जहां भी समुदाय के भीतर असहिष्णुता या अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली वास्तविक समस्याएं हों, उन्हें साहस और ईमानदारी के साथ उद्भेदित किया जाना चाहिए। धार्मिक संस्थानों में सुधार के लिए खुलापन जरूरी है, विशेषकर धार्मिक शिक्षा के क्षेत्र में, ताकि आलोचनात्मक सोच, करुणा और सामाजिक संवेदनशीलता के मूल्य प्रमुख रूप से उभर कर सामने आ सकें। याद रहे सुधार को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति और विश्वास का प्रतीक है।

गैर–मुसलमानों के विरुद्ध आतंकवाद और हिंसा की चुनौती गंभीर है लेकिन यह राष्ट्रीय और वैश्विक चिंता का भी विषय है, जिसके समाधान के लिए सभी समुदायों की भागीदारी जरूरी है। जहां एक ओर दो–दो चुनौतियां सामने हों वहां मुसलमानों की विशेष जिम्मेदारी है कि वे उग्रवाद के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व करें और शांति को बढ़ावा दें। अपनी इतिहास से प्रेरणा लेकर, समाज से संवाद स्थापित करें और वैश्विक बहुलतावादी आदर्शो के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दृढ़ करते हुए, इस्लामी समुदाय न केवल वर्तमान चुनौतियों पर विजय पा सकता है, बल्कि एक अधिक न्यायपूर्ण और सौहार्दपूर्ण भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

श्रमिक अधिकारों के लिए संघर्ष से लेकर राष्ट्र निर्माण हेतु अभूतपूर्व योगदान करने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर

अर्जुन राम मेघवाल
केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य मंत्री, भारत सरकार

हम एक विराट व्यक्तित्व के स्वामी और आधुनिक मानव समाज की दिशा निर्धारित करने वाले प्रगतिशील उपायों के पुरोधा बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर का 70वां महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। एक विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, दार्शनिक, समाज सुधारक और इन सबसे अधिक एक राष्ट्र-निर्माता के रूप में उनके अथक प्रयासों ने आधुनिक भारत की नींव रखी। उन्होंने केवल भारत के संविधान का मसौदा ही तैयार नहीं किया बल्कि एक ऐसे समावेशी और सशक्त राष्ट्र का खाका भी प्रस्तुत किया जहां प्रत्येक नागरिक की गरिमा की रक्षा हो और सभी को समान अवसर प्राप्त हो सके। इन मूलभूत मूल्यों से प्रेरित होकर मोदी सरकार ने जन कल्याण और सुशासन को बढ़ावा देने वाली कई पहलें की हैं।

27 नवंबर, 2025 को पेरिस स्थित यूनेस्को (UNESCO) मुख्यालय में भारत के संविधान की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संपूर्ण विश्व डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर की आवक्ष प्रतिमा के अनावरण का साक्षी बना। विश्व के गणमान्य व्यक्तियों के समक्ष यह प्रतिमा न केवल भारत के एक नेता के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में बल्कि न्याय के एक सार्वभौमिक प्रतीक के रूप में खड़ी है। पट्टिका पर भारत के संविधान का शिल्पकार लिखा है, फिर भी ये शब्द उस व्यक्ति की विरासत का पूरी तरह से उल्लेख नहीं कर सकते, जिसने न केवल भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया, बल्कि एक पूरे राष्ट्र को समग्रत: आकार देने में मदद की।

अपने पूरे जीवनकाल में, बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर ने श्रमिकों के अधिकार और उनके कल्याण की वकालत करते हुए न्याय के लिए संघर्ष किया। गोलमेज सम्मेलन (Round Table Conference) में दलित वर्गों (Depressed Classes) के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने जीवन निर्वाह मजदूरी, काम करने की उचित स्थिति, दमनकारी जमींदारों से किसानों की मुक्ति और दबे-कुचले लोगों को प्रभावित करने वाली सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन की पुरजोर वकालत की। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से श्रमिकों और दलितों की पीड़ा को देखा था। बंबई में, वह बंबई डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की एक कमरे वाली चॉल (tenements) में मिल मजदूरों के साथ 10 साल से अधिक समय तक रहे, जहाँ कोई आधुनिक सुविधाएँ नहीं थीं और प्रत्येक मंजिल पर सभी उद्देश्यों के लिए केवल एक शौचालय और एक नल था। इन परिस्थितियों ने उन्हें श्रमिकों के जीवन को काफी नजदीक से समझने का अवसर दिया। उन्होंने आम जनता को एकजुट किया और 1936 में भूमिहीन लोगों, गरीब काश्तकारों, कृषकों और श्रमिकों के कल्याण हेतु एक व्यापक कार्यक्रम के साथ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी (ILP) की स्थापना की। 17 सितंबर, 1937 को बंबई विधानसभा के पुणे सत्र के दौरान, उन्होंने कोंकण में 'खोती' भूमि कार्यकाल प्रणाली को समाप्त करने के लिए एक विधेयक पेश किया। 1938 में, उन्होंने बंबई में काउंसिल हॉल तक किसानों के मार्च का नेतृत्व किया और किसानों, श्रमिकों और भूमिहीनों के लोकप्रिय नेता बन गए। वह कृषि काश्तकारों की दासता (बंधुआ मजदूरी) को समाप्त करने के लिए विधेयक पेश करने वाले पहले भारतीय विधायक थे। उन्होंने औद्योगिक विवाद विधेयक (Industrial Disputes Bill), 1937 का भी कड़ा विरोध किया क्योंकि इसमें श्रमिकों के हड़ताल करने के अधिकार में कटौती की गई थी।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अनिश्चित वैश्विक व्यवस्था के दौर में डॉ. अंबेडकर ने वायसराय की कार्यकारी परिषद के श्रम सदस्य के रूप में भारत में मजदूरों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार होने और उद्योगों का विस्तार होने पर उद्यमियों को समृद्धि के अवसर मिले, लेकिन श्रमिकों को उनका उचित हिस्सा नहीं दिया गया। उस समय डॉ. अंबेडकर ने श्रमिकों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण उपाय पेश किए, जिससे सरकार की श्रम नीति की नींव पड़ी। उन्होंने श्रमिकों से जुड़े जटिल मुद्दों का बहुत दक्षता के साथ समाधान निकाला जिससे उन्हें कर्मचारियों व नियोक्ताओं दोनों से सम्मान प्राप्त हुआ।

वर्ष 1943 में बंबई से आकाशवाणी से किए गए अपने संबोधन में डॉ. अंबेडकर ने श्रमिकों के लिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित 'जीवन की उचित स्थिति' सुरक्षित करने का आग्रह किया। उनके प्रयासों से श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने में मदद मिली। उन्होंने प्रमुख श्रम कानूनों के माध्यम से श्रमिकों के कल्याण हेतु अहम योगदान किया जिसमें युद्ध चोट (मुआवजा बीमा) विधेयक, असुरक्षित निरीक्षणों के कारण मिलों में होने वाली मृत्यु पर रोक लगाने से संबंधित बॉयलर (संशोधन) विधेयक 1943, भारतीय खान और ट्रेड यूनियन संशोधन विधेयक, खनिक मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक, कोयला खान सुरक्षा (स्टोविंग) संशोधन विधेयक और कामगार मुआवजा संशोधन विधेयक शामिल हैं।

9 दिसंबर 1943 को, डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने धनबाद कोयला खदानों का दौरा किया और खदानों के संचालन व श्रम स्थितियों का निरीक्षण करने के लिए जमीन से 400 फीट नीचे गए। इसके परिणामस्वरूप जनवरी 1944 का कोयला खान श्रम कल्याण अध्यादेश (Coal Mine Labour Welfare Ordinance) आया, जिससे श्रमिकों के कल्याण के लिए एक कोष बनाया गया। उन्होंने कोयले की खानों से निकाले गए कोयले पर कर को दोगुना करके इस कोष को मजबूत किया, जिससे खनिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित हुए। 8 नवंबर 1943 को, उन्होंने भारतीय ट्रेड यूनियन (संशोधन) विधेयक भी पेश किया, जिसमें नियोक्ताओं के लिए ट्रेड यूनियनों को मान्यता देना अनिवार्य कर दिया गया।

8 फरवरी 1944 को कोयला खदानों में महिलाओं के जमीन के भीतर काम पर से प्रतिबंध हटाने के विषय पर विधानसभा में बहस के दौरान डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने कहा, **''मुझे लगता है कि यह पहली बार है कि किसी भी उद्योग में लैंगिक आधार पर भेदभाव के बिना समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत स्थापित किया गया है।''** यह देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। माइन्स मैटरनिटी बेनिफिट संशोधन बिल 1943 के माध्यम से उन्होंने मातृत्व लाभ को मजबूत किया और उन्हें अनुपस्थिति के कारण आर्थिक दंड से बचाने का प्रावधान किया। वर्ष 1945 में उन्होंने अधिनियम में और (संशोधन) किए ताकि महिलाओं को प्रसव से दस सप्ताह पहले जमीन के भीतर कार्य करने से बचाया सके और उनके लिए प्रसव से दस सप्ताह पहले और चार सप्ताह बाद कुल मिलाकर चौदह सप्ताह का मातृत्व अवकाश सुनिश्चित किया जा सके।

26 नवंबर 1945 को नई दिल्ली में भारतीय श्रमिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए, उन्होंने श्रमिकों के प्रति सरकार के दायित्वों की समीक्षा की और श्रमिकों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के श्रम कानूनों की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। प्रगतिशील श्रम कल्याण कानून की आवश्यकता पर बल देते हुए, उन्होंने कहा:-

''कोई यह कह सकता है कि अंग्रेजों को श्रम कानून की एक उचित संहिता बनाने में 100 साल लग गए, किंतु यह कोई तर्क नहीं है कि हमें भी भारत में 100 साल लगने चाहिए। इतिहास का अध्ययन केवल इस दृष्टि से नहीं किया जाना चाहिए कि दूसरे देशों की गलतियों की नकल कितनी अच्छी तरह की जाए। हम इतिहास का अध्ययन इसलिए करते हैं ताकि यह जान सकें कि लोगों ने क्या गलतियां की है और उनसे कैसे बचा जा सकता है। इतिहास हमेशा एक उदाहरण नहीं होता। अक्सर यह एक चेतावनी होता है।''

अगले दिन उसी सम्मेलन में, उन्होंने कारखानों में काम के घंटे घटाकर 48 घंटे प्रति सप्ताह करने, वैधानिक औद्योगिक कैंटीन शुरू करने और कामगार मुआवजा अधिनियम, 1934 में संशोधन करने के लिए कानून प्रस्तावित किया। उन्होंने न्यूनतम मजदूरी और भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 में संशोधन के लिए कानूनों का मसौदा तैयार करने की योजना भी घोषित की। 21 फरवरी 1946 को, डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने साप्ताहिक काम के घंटों को घटाकर 48 करने, ओवरटाइम दरों को तय करने और सवैतनिक अवकाश प्रदान करने के लिए कारखाना संशोधन विधेयक पेश किया। प्रवर समिति (select committee) द्वारा समीक्षा के बाद, अंबेडकर द्वारा समर्थित यह ऐतिहासिक कानून 4 अप्रैल 1946 को पारित किया गया था।

अभ्रक खनन उद्योग में कल्याणकारी गतिविधियों के लिए एक कोष बनाने के लिए उनके द्वारा पेश किया गया अभ्रक खान श्रम कल्याण कोष विधेयक (Mica Mines Labour Welfare Fund Bill), 15 अप्रैल 1946 को पारित किया गया था। इसने बाल और महिला मजदूरों के लिए सुविधाओं और काम करने की स्थितियों में सुधार किया, जिसमें काम के घंटे और मजदूरी के मुद्दे शामिल थे। डॉ. अंबेडकर ने 11 अप्रैल 1946 को न्यूनतम वेतन विधेयक (Minimum Wages Bill) भी पेश किया, जिसमें समान नियोक्ता-श्रम प्रतिनिधित्व वाली सलाहकार समितियों और बोर्डों का प्रस्ताव था। बाद में 9 फरवरी 1948 को इसे कानून का रूप दिया गया।

डॉ अंबेडकर ने कम्युनिस्टों के नेतृत्व वाले श्रमिक आंदोलन का विरोध किया, उन्होंने उत्पादन के सभी साधनों को नियंति करने के मार्क्स के सर्वसत्तावादी दृष्टिकोण (totalitarian approach) को खारिज कर दिया। वह मार्क्स के इस विचार से असहमत थे कि निजी संपत्ति को खत्म करने से गरीबी और पीड़ा समाप्त हो जाएगी। अपने निबंध बुद्ध या कार्ल मार्क्स में, वह लिखते हैं:-

''क्या कम्युनिस्ट यह कह सकते हैं कि अपने मूल्यवान उद्देश्य को प्राप्त करने में उन्होंने अन्य मूल्यवान उद्देश्यों को नष्ट नहीं किया है? उन्होंने निजी संपत्ति को नष्ट कर दिया है। यह मानते हुए कि यह एक मूल्यवान उद्देश्य है, क्या कम्युनिस्ट यह कह सकते हैं कि इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया में उन्होंने अन्य मूल्यवान उद्देश्यों को नष्ट नहीं किया है? अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कितने लोगों को मारा है। क्या मानव जीवन का कोई मूल्य नहीं है? क्या वे मालिक की जान लिए बिना संपत्ति नहीं ले सकते थे?''

संविधान का मसौदा तैयार करते समय, डॉ. अंबेडकर ने एकसमान कानून और अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ सरेखण सुनिश्चित करने के लिए श्रम को समवर्ती सूची (Concurrent List) में रखा। उनकी दूरदर्शिता ने संविधान में बंधुआ मजदूरी को अवैध घोषित करके उसे समाप्त कर दिया।

हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए "Reform, Perform and Transform" मंत्र से प्रेरित होकर तथा डॉ. अंबेडकर के मूल्यों का अनुसरण करते हुए हमारी सरकार ने चार व्यापक श्रम संहिताओं (labour codes)- मजदूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति को लागू किया है। इन सुधारों का उद्देश्य सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना, उत्पादकता को बढ़ावा देना, नौकरियां पैदा करना और वर्ष 2047 तक विकसित भारत की दिशा में भारत की आर्थिक समृद्धि को मजबूत करना है। फरवरी 2019 में शुरू की गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, असंगठित श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करती है, तथा मातृत्व संशोधन अधिनियम, 2017 द्वारा मातृत्व अवकाश को 12 से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया है और क्रेच सुविधाओं को अनिवार्य बनाया गया है।

श्रमेव जयते की स्थायी भावना से निर्देशित होकर हम राष्ट्र निर्माण में श्रमिकों के अनगिनत योगदान को सम्मानित करते हैं। परम पूज्य बाबासाहेब डॉ. अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस हमें इस महान राष्ट्र-निर्माता के दृष्टिकोण और कार्यों पर विचार करने का एक उपयुक्त अवसर प्रदान करता है। उनके आदर्श हमें राष्ट्र की विकास यात्रा को तीव्रतर बनाने तथा वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदैव प्रेरित करते रहेंगे।

राजस्व लोक अदालत से जनता को बड़ी राहत मंडी में दो वर्षों में 32हजार से अधिक मामलों का निपटारा

हिमाचल प्रदेश सरकार की पहल पर आयोजित राजस्व अदालतों ने मंडी जिले में लंबित मामलों के समाधान की गति तेज कर दी है। अक्तूबर 2023 से अक्तूबर 2025 तक जिले में 24 राजस्व अदालतें आयोजित की गई, जिनमें इंतकाल, तकसीम, निशानदेही और राजस्व दुरुस्ती से जुड़े 32 हजार से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। इससे लोगों को अपने क्षेत्र में ही समय पर राहत मिल रही है।

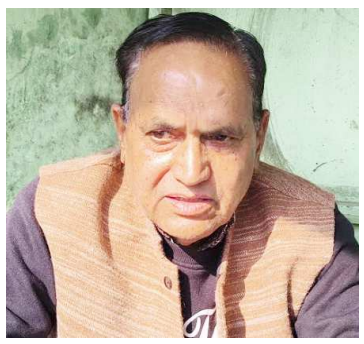

राजस्व अदालतें प्रदेश में अक्तूबर 2023 से शुरू हुई थीं। बाद में इसमें इंतकाल के साथ-साथ तकसीम, निशानदेही और दुरुस्ती के मामलों को भी शामिल किया गया। मंडी जिले में अब तक इंतकाल के 30,641, तकसीम के 970, निशानदेही के 663 और दुरुस्ती के 413 मामले सुलझाए जा चुके हैं।

सरकाघाट क्षेत्र के कई लोगों ने इस पहल को राहतकारी बताते हुए सरकार का आभार जताया। शिव कुमार ने बताया कि 15 वर्ष पुराना तकसीम विवाद राजस्व लोक अदालत के माध्यम से समाधान हो गया। इसी तरह रणजीत सिंह ने कहा कि पहले तहसील कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, जबकि अब मौके पर ही निपटारा हो रहा है।

उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने कहा कि राजस्व अदालतों ने लोगों को वास्तविक राहत दी है तथा राजस्व प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और सुलभ बनाया है। उन्होंने कहा कि उद्देश्य यही है कि नागरिकों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े।

शाहपुर के कलियारा में बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण

कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार के लिए अतिरिक्त राशि जल्द

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के कलियारा में 3.36 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित

बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण किया। स्टेडियम में बास्केटबॉल, बैडमिंटन और फिटनेस सेंटर की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के विरोध के बावजूद सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार किए हैं, जिसके चलते हिमाचल अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में देश में पांचवें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि पूर्व सरकार के समय यह 21वें स्थान पर था।

उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को मजबूत करने के लिए 100 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में सीबीएसई पाठयक्रम शुरू किया जा रहा है। कलियारा विद्यालय को भी इसके लिए स्वीकृति दी गई है, जहां विज्ञान और वाणिज्य वर्ग शुरू होंगे तथा ड्रेस कोड भी लागू किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीबीएसई पाठयक्रम वाले स्कूलों में मोबाइल फोन प्रतिबंधित रहेंगे ताकि विद्यार्थी पढ़ाई और खेल पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

एयर कनेक्टिविटी पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा हवाई अडडे के विस्तार के लिए 460 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं और बड़े विमानों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त धनराशि भी जल्द जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, रोजगार और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ होगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र को सरकार की दूसरी सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने आईजीएमसी शिमला, टांडा मेडिकल कॉलेज और चमियाणा सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के लिए 78 करोड़ रुपये की अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं की स्वीकृति का उल्लेख किया। इससे विभिन्न बीमारियों की जांच में अधिक सटीकता आएगी।

मुख्यमंत्री ने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की और कहा कि राज्य सरकार पहली बार प्राकृतिक खेती से पैदा होने वाली गेहूं, मक्की और हल्दी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल ने कहा कि सरकार समाज के सभी वर्गो तक राहत पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि कांगड़ा के लुथान में मुख्यमन्त्री सुख-आश्रय योजना के तहत 400 क्षमता वाला आधुनिक आवासीय परिसर तैयार किया जा रहा है, जो बेसहारा बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गो को आश्रय देगा। उन्होंने नशे के खिलाफ सरकार के अभियान को जनआंदोलन बनाने का आहवान किया।

स्थानीय विधायक एवं उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार की पहल के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा, विधायक सुरेश कुमार, कमलेश ठाकुर और अनुराधा राणा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

धर्मशाला में मुख्यमंत्री ने 24.47 करोड़ रुपये की लागत से समृद्धि भवन का लोकार्पण किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के धर्मशाला में समृद्धि भवन का लोकार्पण

किया। 24.47 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह भवन क्षेत्र के नागरिकों को आधुनिक और सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

2,511 वर्ग मीटर क्षेत्र में बने भवन में एक भूतल, चार मंजिलें और दो बेसमेंट शामिल हैं। बेसमेंट में 80 वाहनों की पार्किंग सुविधा है, जिसमें स्टाफ और आम जनता के लिए अलग-अलग स्थान निर्धारित किए गए हैं। भवन को भूकंप ज़ोन-5 के अनुरूप डिज़ाइन किया गया है।

अत्याधुनिक सुविधाओं में स्मोक डिटेक्टर, अग्निशमन व्यवस्था, 50 किलोवाट सोलर पावर प्लांट, रेनवाटर हार्वेस्टिंग टैंक, 30,000 लीटर जल संग्रहण क्षमता, डीजी सेट और इंटरकॉम प्रणाली शामिल हैं।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि यह भवन प्रशासनिक दक्षता, नागरिक सेवाओं और सतत प्रशासन के लिए एक अत्याधुनिक हब के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने बताया कि समृद्धि भवन धर्मशाला में विभिन्न सरकारी कामकाज को सुविधाजनक बनाएगा और राज्य में शहरी अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए एक मॉडल के रूप में स्थापित होगा।

लोकार्पण समारोह में विधायक सुरेश कुमार, पूर्व सांसद विप्लव ठाकुर, धर्मशाला महापौर नीनू शर्मा, कांग्रेस नेता देवेंद्र जग्गी, हिमाचल प्रदेश वूल फेडरेशन अध्यक्ष मनोज ठाकुर और एपीएमसी कांगड़ा अध्यक्ष निशु मोंगरा सहित अन्य गणमान्य मौजूद थे।

कांगड़ा में बाण गंगा घाट का लोकार्पण, संध्याकालीन आरती से हुआ उद्घाटन

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कांगड़ा में नव-निर्मित बाण गंगा घाट का लोकार्पण किया। हरिद्वार की तर्ज पर

मंत्रोच्चारण के साथ संध्याकालीन आरती का आयोजन किया गया, जिसे प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनाया जाएगा।

2.20 करोड़ रुपये की लागत से बने इस घाट के निर्माण में कैप्टन शैलेश रियालच फाउंडेशन ने लगभग 1.5 करोड़ रुपये योगदान दिया, जबकि जिला प्रशासन कांगड़ा ने 70 लाख रुपये प्रदान किए। यह फाउंडेशन शहीद कैप्टन शैलेश की स्मृति में घाट निर्माण में अहम भूमिका निभा रहा है।

घाट परिसर में 25 फीट ऊंचा त्रिशूल, भव्य आरती स्थल, चेंजिंग रूम, शौचालय, आकर्षक मंच, सुंदर पार्क और बेहतर प्रकाश व्यवस्था स्थापित की गई है। यहां योगा सत्र और धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और कांगड़ा का बज्रेश्वरी मंदिर हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। घाट का विकास स्नान और पूजा-अर्चना के लिए सुव्यवस्थित और सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है।

कार्यक्रम में आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा, विधायक संजय अवस्थी, सुरेश कुमार, कमलेश ठाकुर, स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा, वूल फेडरेशन अध्यक्ष मनोज ठाकुर, एपीएमसी कांगड़ा अध्यक्ष निशु मोंगरा, उपायुक्त हेमराज बैरवा और पुलिस अधीक्षक अशोक रतन सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के क्षेत्रीय प्रयोगशाला भवन का लोकार्पण किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने दाड़ी धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नई क्षेत्रीय प्रयोगशाला का लोकार्पण किया। 3.5 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह आधुनिक सुविधा राज्य में पर्यावरणीय निगरानी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

938.44 वर्ग मीटर क्षेत्र में बने इस भवन में 234.61 वर्ग मीटर का मुख्य प्रयोगशाला परिसर शामिल है, जबकि बेसमेंट को पार्किंग हेतु उपयोग किया जाएगा। भवन में बिजली, पानी और आधुनिक तकनीकी ढांचे के साथ सुचारू संचालन के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं स्थापित की गई हैं।

नई प्रयोगशाला में पानी व अपशिष्ट जल गुणवत्ता परीक्षण, वायु गुणवत्ता निगरानी और सूक्ष्मजीव परीक्षण के लिए अलग-अलग अनुभाग बनाए गए हैं। इसके अलावा सैंपल संग्रह कक्ष, रसायन व लैब सामग्री भंडारण कक्ष, रिकॉर्ड रूम, मीटिंग हॉल और कर्मचारियों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं भी उपलब्ध हैं।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रयोगशाला को एनएबीएल मानकों के अनुरूप विकसित किया गया है और यह बोर्ड की तकनीकी क्षमता तथा पर्यावरणीय विश्लेषण की विश्वसनीयता को नई मजबूती देगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने परियोजना को समयबद्ध पूरा करने के लिए पर्याप्त बजटीय सहायता प्रदान की है।

लोकार्पण कार्यक्रम में आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा, राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया, विधायक संजय अवस्थी, हरीश जनारथा व सुरेश कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय प्रतिनिधि मौजूद रहे।

नावर क्षेत्र प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री से की मुलाकात, टिक्कर कॉलेज में एकीकृत बीएड और नए पीजी कोर्सों पर जताया आभार

शिमला/शैल। जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के नावर क्षेत्र के एक प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि राज्य सरकार के हालिया निर्णयों ने क्षेत्र को तेजी से उभरते शिक्षा हब के रूप में स्थापित किया है, जिससे छात्रों को घर के नजदीक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुविधाएं मिल रही हैं।

प्रतिनिधिमंडल ने राजकीय महाविद्यालय टिक्कर में चार वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम की घोषणा के लिए शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया। उनका कहना था कि यह कदम शिक्षा की गुणवत्ता और आधुनिक शिक्षण सुविधाओं को मजबूत करेगा। साथ ही उन्होंने राजकीय महाविद्यालय सावड़ा में स्नातकोत्तर कक्षाओं की शुरुआत बीवॉक हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, बीवॉक रिटेल एंड फाइनेंस, एमए अंग्रेजी, एमए हिन्दी और एमकॉम के लिए भी धन्यवाद दिया।

इसके अतिरिक्त, एलबीएस राजकीय महाविद्यालय सरस्वती नगर में दो वर्षीय बी.पी.एड. कोर्स को स्वीकृति मिलने को क्षेत्र के युवाओं के लिए बड़ी उपलब्धि बताया गया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इन फैसलों से स्थानीय व प्रदेशभर के छात्रों को उच्च शिक्षा में अधिक अवसर प्राप्त होंगे।

प्रतिनिधिमंडल ने स्कूलों में सीबीएसई पाठयक्रम लागू करने और प्रदेश के लिए स्वीकृत दो केंद्रीय विद्यालयों में से एक का कोटखाई में खुलना क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने यह भी कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज, प्रगति नगर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजीनियरिंग आईटीआई, बी-टेक सिविल इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग जैसे नए कोर्स शुरू होना गौरव की बात है।

प्रतिनिधिमंडल ने इन उपलब्धियों को शिक्षा मंत्री के निरंतर प्रयासों और क्षेत्र की प्राथमिकताओं को महत्व देने का परिणाम बताया। मुलाकात के दौरान उन्होंने क्षेत्र से जुड़े कई विकासात्मक मुद्दे भी उठाए।

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने प्रतिनिधिमंडल की सभी उचित मांगों पर सकारात्मक विचार का आश्वासन दिया और कहा कि प्रदेश व क्षेत्र का समग्र विकास सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है।

बैठक में जुब्बल-कोटखाई कांग्रेस अध्यक्ष मोती लाल डेरटा, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि और स्थानीय कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।

हिमुडा ने सुख आश्रय कोष में दिये 11 लाख

शिमला/शैल। नगर नियोजन, आवास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने आज धर्मशाला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू को हिमुडा की ओर से 11 लाख रुपये का चेक सौंपा। यह योगदान मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने हिमुडा के इस सहयोग के लिए आभार जताते हुए कहा कि ऐसे योगदान अनाथ बच्चों, निराश्रित महिलाओं और जरूरतमंदों के लिए संचालित कल्याणकारी पहलों को मजबूत आधार देते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर जरूरतमंद को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस दिशा में निरंतर प्रयास जारी हैं।

इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, विधायक राम कुमार, मुख्य सचिव संजय गुप्ता और हिमुडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुरेन्द्र वशिष्ठ भी उपस्थित रहे।

नशे के विरुद्ध जन आंदोलन से ही मिलेगी सफलता:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिला कांगड़ा

में नारकोटिक्स को-ऑर्डिनेशन सेंटर की छठी राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश में चिट्टा और अन्य मादक पदार्थो के पूर्ण उन्मूलन के लिए दिशा निर्देश दिए। बैठक में राज्य सरकार के संबंधित विभागों के अलावा एन.सी.बी., ई.डी., डी.आर.आई., डाक विभाग और आर. पी.एफ. के प्रतिनिधि भी शामिल थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की 234 संवेदनशील पंचायतों में पुलिस और सीआईडी की विशेष तैनाती की गई है। उपायुक्तों को नशा निवारण समितियां गठित करने और प्रत्येक जिले में नियमित बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने युवाओं, अभिभावकों, पंचायती राज संस्थाओं, महिला मंडलों और स्वयंसेवी संगठनों से सक्रिय भागीदारी की अपील की।

सुक्खू ने सभी जिला प्रशासन को नशे से अर्जित संपत्तियों की रिपोर्ट 10 दिसंबर तक प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने बताया कि चिट्टा तस्करी में 60 सरकारी कर्मचारी संलिप्त पाये गये, जिनमें 15 पुलिसकर्मी शामिल हैं। पांच को बर्खास्त किया जा चुका है और शेष के खिलाफ कानूनी कारवाई जारी है। आगामी समय में जिला और सब-डिवीजन स्तर पर एंटी-चिट्टा वॉकथॉन आयोजित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार न केवल प्रवर्तन कर रही है बल्कि काउंसलिंग, उपचार और पुनर्वास व्यवस्था भी मजबूत कर रही है। सरकारी भर्तियों में ड्रग टेस्ट अनिवार्य किया गया है, और स्कूल-कॉलेजों में एंटी-ड्रग क्लब और प्रहरी कार्यक्रम सक्रिय किए जा रहे हैं।

प्रदेश में 'चिट्टा सूचना इनाम योजना' शुरू की जा रही है। सूचना देने वाले को 10 हजार से 10 लाख रुपये तक का इनाम मिलेगा। लोग 112 या नजदीकी पुलिस स्टेशन पर सूचना दे सकते हैं, और इनाम 30 दिन के भीतर प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षो में प्रदेश में 5,642 एनडीपीएस मामले दर्ज, 8,216 गिरफ्तारी और 36.657 किलो चिट्टा बरामद किया गया। 46 कुख्यात तस्कर हिरासत में हैं और 48 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की गई। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने पंचायतों को रेड-येलो-ग्रीन वर्गो में बांटकर 12,000 व्यक्तियों की पहचान की।

बैठक में मुख्य सचिव संजय गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्याम भगत नेगी, पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी, प्रधान सचिव देवेश कुमार, सचिव एम. सुधा देवी, राकेश कंवर, सुशील कुमार सिंघला और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए

मुख्यमंत्री ने किया सशस्त्र कल्याण कोष में उदारतापूर्वक योगदान करने का आग्रह

शिमला/शैल। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सैनिक कल्याण

विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर मदन शील शर्मा ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू को सशस्त्र सेना का प्रतीकात्मक झंडा लगाया।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सशस्त्र कल्याण कोष में अंशदान किया और प्रदेशवासियों से भी उदारतापूर्वक सहयोग करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए संचालित यह कोष अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे इस पुनीत कार्य में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और उन वीर जवानों के परिवारों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें जिन्होंने देश की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है।

उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों का इतिहास वीरता और त्याग की गौरवशाली गाथाओं से भरा है। सेना, नौसेना और वायु सेना के जवानों ने हर परिस्थिति में देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा है, और उनकी निष्ठा व समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं।

इस अवसर पर उप-निदेशक, सैनिक कल्याण शिमला और किन्नौर, लेफ्टिनेंट कमांडर अतुल चंबियाल भी उपस्थित रहे।

सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने उठाई नूरपुर में फूड प्रोसेसिंग उद्योग स्थापित करने की मांग

शिमला/शैल। कांगड़ा के लोकसभा सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने नूरपुर क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग उद्योगों की स्थापना की मांग केंद्र सरकार के समक्ष उठाई है। उन्होंने यह मुद्दा संसद में नियम 377 के तहत रखते हुए केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान से क्षेत्र के लिए विशेष पहल करने का आग्रह किया।

डॉ. भारद्वाज ने कहा कि नूरपुर बागवान बहुल इलाका है, जहां आम, लीची, किन्नू और अमरूद जैसे फलों की प्रचुर पैदावार होती है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में इन फलों का सर्वाधिक उत्पादन कांगड़ा जिले में होता है और ऑफ-सीजन आम की सबसे अधिक पैदावार नूरपुर में दर्ज की जाती है।

उन्होंने कहा कि नूरपुर में फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना से बागवानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और क्षेत्र में आर्थिक प्रगति का मार्ग खुलेगा। सांसद ने केंद्रीय मंत्री से इस दिशा में शीघ्र कदम उठाने का अनुरोध किया।

पेंशनरों के लंबित चिकित्सा बिल एक माह में होंगे जारी:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने घोषणा की कि प्रदेश सरकार पेंशनरों के

सभी लंबित चिकित्सा बिलों का भुगतान अगले एक माह के भीतर पूरा कर देगी। उन्होंने यह आश्वासन हिमाचल प्रदेश पैंशनर संयुक्त फ्रंट के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कर्मचारियों को सरकार की 'रीढ़' बताते हुए कहा कि उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। सुक्खू ने बताया कि सरकार गठन के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) बहाल की गई, जिससे 1 लाख 36 हजार कर्मचारी लाभान्वित हुये।

उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार पेंशनरों की मांगों और विभिन्न देनदारियों के निपटारे को प्राथमिकता दे रही है। साथ ही संसाधन सृजन और वित्तीय अनुशासन पर भी समान रूप से ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन से प्रदेश की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई और समय पर भुगतान नहीं हो सका।

बैठक के दौरान पैंशनर संयुक्त फ्रंट के अध्यक्ष आत्मा राम शर्मा ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और पैंशनरों की विभिन्न मांगों से अवगत करवाया।

यूआईडीएआई द्वारा मशोबरा में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित

शिमला/शैल। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई ने डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, मशोबरा में आधार प्रमाणीकरण संचालकों और निरीक्षकों के लिए एक दिवसीय राज्य स्तरीय मेगा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

डिजिटल टेक्नोलॉजीज एवं गवर्नेंस, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक तथा हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड से 70 प्रतिभागियों ने कार्यशाला में हिस्सा लिया। प्रशिक्षण में आधार प्रमाणीकरण प्रणाली, नियम-कायदे, प्रक्रियाएं, सर्वोत्तम प्रथाएं और सुरक्षित सेवाओं के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल पर विस्तृत जानकारी दी गई।

सत्रों में डेटा की शुता, गोपनीयता, कौशल विकास और वास्तविक परिस्थितियों में समस्या-समाधान पर विशेष जोर दिया गया। प्रतिभागियों ने चर्चा के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव और तकनीकी समझ विकसित की।

कार्यक्रम का शुभारंभ यूआईडीएआई क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ के उप-निदेशक तेजिंदर पाल सिंह ने किया। तकनीकी एवं व्यावहारिक सत्रों का संचालन यूआईडीएआई मुख्यालय के अनिल शर्मा, अनुपालन विभाग के एएम कुलदीप शर्मा, तथा राज्य परियोजना प्रबंधक विजय एस. सिंह ने किया।

राज्य खाद्य आयोग की स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यशाला आयोजित

फ्रंटलाइन वर्करों को व्यवहारिक प्रशिक्षण

शिमला/शैल। राज्य खाद्य आयोग ने अध्यक्ष डॉ. एस.पी. कत्याल की अध्यक्षता में एक दिवसीय स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यशाला आयोजित की, जिसमें फ्रंटलाइन वर्करों को पोषण, स्वास्थ्य

संबंधी जीवनशैली और संबंधित सरकारी योजनाओं पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया।

डॉ. कत्याल ने फ्रंटलाइन वर्करों के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि कार्यशाला से प्राप्त ज्ञान को फील्ड में लागू करने से जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सूचकांकों में सुधार आएगा। उन्होंने इसे समुदाय तक प्रभावी सेवा पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया।

राज्य खाद्य आयोग के सदस्य सचिव योगेश चौहान ने पोषण क्षेत्र में बेहतर परिणामों के लिए विभागीय समन्वय की अनिवार्यता पर जोर दिया। कार्यशाला में प्रतिभागियों को पोषण संबंधी समस्याओं की पहचान, फील्ड रिकॉर्ड तैयार करने और सामुदायिक पहुंच मजबूत करने पर प्रशिक्षण दिया गया।

महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पीएम पोषण और आईजीएमसी शिमला के विशेषज्ञों ने संतुलित आहार, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, मध्या भोजन मानक, तथा समुदाय-स्तरीय सर्वोत्तम प्रथाओं पर जानकारी साझा की। संवाद सत्र में प्रतिभागियों ने ऐसी कार्यशालाओं के नियमित आयोजन की आवश्यकता जताई।

कार्यक्रम में लगभग 38 प्रतिभागियों आशा, मिड-डे-मील और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओ ने भाग लिया।

नव वर्ष में वार्षिक प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करेगी मानव कल्याण समिति अर्की

शिमला/शैल। मानव कल्याण समिति अर्की की मासिक बैठक संस्थापक डॉ. संतलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई। सचिव राजेश कपाटिया ने बताया कि समिति नव वर्ष में वार्षिक प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करेगी।

प्रतिभा चयन समिति के सदस्यों ने सत्र 2024-25 के मेधावी विद्यार्थियों का चयन कर लिया है। जमा दो में मांगू स्कूल की मोनिका (488), हिमेश (487) और रक्षिता (486) शीर्ष तीन स्थानों पर रहे। मैट्रिक में हिमांशी (दाड़ला) 677 अंक के साथ प्रथम, जबकि कुशाल (डुमेहर) व दीपाली (बलेरा) 675 अंक तथा हर्षिता (धुंधन) 671 अंक के साथ चयनित हुई।

स्व. भवेशीराज शर्मा की स्मृति में घोषित बी.आर.शर्मा मेमोरियल पुरस्कार के लिए जमा दो वर्ग में रिद्धि (मांगू) व पूर्णिमा (भूमति) तथा मैट्रिक वर्ग में खुशी (अर्की) व डिंपल (बसंतपुर) को नामित किया गया है।

समिति ने दावे-आपत्तियां 25 दिसंबर तक आमंत्रित की हैं। समारोह में इस वर्ष राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त सेवानिवृत्त डिप्टी कमांडेंट जगदीश चंद (शेरपुर) विशेष अतिथि होंगे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

धारा 118 को कमजोर कर हिमाचल ऑन सेल की ओर बढ़ रही सरकार:जयराम

शिमला/शैल। विधानसभा सत्र के दौरान मीडिया से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने धारा 118 में प्रस्तावित संशोधन को हिमाचल के हितों के खिलाफ गंभीर साजिश करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हिमाचल ऑन सेल के मिशन पर है और सत्ता में आते ही सुविधाएं छीनने व संसाधनों को बेचने का काम प्राथमिकता बना दिया है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार की मित्र मंडली में ऐसे लोग शामिल हैं जो देशभर में घूमकर धारा 118 में छूट दिलाने का ठेका लिये हुये हैं। उन्होंने दावा किया कि कई मामलों में ऐसे लोगों द्वारा पैसे लेकर छूट दिलाने की बातें मीडिया में भी सामने आ चुकी हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू प्रदेश के पहले ऐसे मुखिया हैं जो हित बेचने और संसाधन सौंपने की नीति पर चल रहे हैं।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पांच लाख नौकरियों और 5,000 स्थायी वेतन वाली नौकरी की गारंटी देने वाली सरकार तीन साल बाद भी यह बताने की स्थिति में नहीं है कि कितनी भर्तियां हुई।

उन्होंने कहा विपक्ष लगातार दो साल से पूछ रहा है कि कितनी परीक्षाएं हुई, कितनी भर्तियां निकलीं, किस विभाग में कितने पद भरे गए लेकिन सरकार हर बार वही जवाब देती है कि 'सूचना एकत्र की जा रही है'। सरकार ने नौकरी दी ही नहीं तो आंकड़े कहां से लायेगी?

छात्र आंदोलनों पर पुलिस कारवाई को नेता प्रतिपक्ष ने तानाशाही प्रवृत्ति बताया। उन्होंने कहा कि छात्र अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, और सरकार को उनकी बात सुनने के बजाये बल प्रयोग का रास्ता नहीं अपनाना चाहिये था।

लोकतंत्र में बलपूर्वक विरोध दबाने की कोशिश कभी सफल नहीं होती। सरकार ने लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन किया तो उसे इसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा।

जयराम ठाकुर ने कहा कि दिव्यांगजनों की रैली पर पुलिस कारवाई बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे दिन सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी, लेकिन बल प्रयोग कर सरकार ने असंवेदनशीलता का परिचय दिया।

पौंग विस्थापितों के लिए बने उच्चस्तरीय समिति:अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा के शून्य काल में कांगड़ा जिले के पौंग डैम विस्थापितों का मुद्दा

उठाया। उन्होंने जलशक्ति मंत्रालय, गृह मंत्रालय और राजस्थान व हिमाचल प्रदेश सरकारों के सहयोग से एक इंटर-मिनिस्ट्रियल कमिटी के गठन की मांग की, ताकि विस्थापितों का पुनर्वास शीघ्र और प्रभावी रूप से किया जा सके।

संसद में अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि पौंग डैम का निर्माण 50 वर्ष पहले हुआ, जिसके कारण 339 गांवों के लगभग 20,772 परिवार विस्थापित हुये। उनका पुनर्वास आज तक अधूरा है। उन्होंने कहा 'आख़िर इन परिवारों का क्या कसूर है कि 50 साल बीतने के बाद भी उन्हें ज़मीन, इन्फ्रास्ट्रक्चर और जीवन के मूलभूत अधिकार नहीं मिले। यह केवल राजनीतिक मामला नहीं, बल्कि बेघर हुये लोगों की मदद करने की नैतिक ज़िम्मेदारी है।'

उन्होंने सदन को याद दिलाया कि विस्थापन के समय 1970 के मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग और राजस्थान कॉलोनाइज़ेशन रूल्स, 1972 के तहत विस्थापितों को रिहैबिलिटेशन का वादा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों (1996 के फैसले सहित) और दिसम्बर 2024 की निरीक्षण रिपोर्ट के बावजूद अभी 6,700 से अधिक परिवारों को ज़मीन आवंटन का इंतजार है, जबकि अन्य कई परिवार इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी, जमीन पर कब्ज़ा और प्रक्रियात्मक अड़चनों से जूझ रहे हैं।

अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्र सरकार से यह कदम उठाने की मांग की है:

➪ इंटर-मिनिस्ट्रियल समिति का गठन, जिसमें राजस्थान और हिमाचल प्रदेश सरकारें शामिल हों।

➪ पेंडिंग ज़मीन अलॉटमेंट की निगरानी के लिये सेंट्रल हाई-पावर कमेटी को फिर से सशक्त बनाना।

➪ सड़क, बिजली, पानी, स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बजट का शीघ्र आवंटन।

➪ विस्थापित परिवारों के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट और किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करना आसान बनाना।

उन्होंने कहा 'पुनर्वास कोई राजनीतिक नारा नहीं है, बल्कि लोगों की जीवन सुरक्षा और सम्मान का मामला है। केंद्र सरकार को सक्रिय और सहयोगी भूमिका निभानी होगी ताकि इन परिवारों को वह ज़मीन, सेवाएं और इज्ज़त मिल सके, जिसका वादा 50 साल पहले किया गया था।'

कांगड़ा के सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने भी सदन में इस मुद्दे का समर्थन किया।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि विस्थापित परिवारों ने देशहित में अपने घर-गांव छोड़े थे और अब उनकी पीड़ा को दूर करना केंद्र और राज्यों की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि समय पर निर्णय और समन्वय से ही पौंग विस्थापितों को उनका अधिकार मिल सकेगा। उन्होने केंद्र और राज्य सरकारों से पौंग डैम विस्थापितों के पुनर्वास और उनके मूल अधिकारों की बहाली में त्वरित कारवाई करने का आहवान किया है।

क्या प्रदेश के तकनीकी

.....पृष्ठ 1 का शेष

शिक्षकों की इस कदर कमी और छात्रावास के खाने में कीड़े पाये जाये तो प्रदेश के अन्य संस्थाओं की स्थिति क्या होगी। हाइड्रो परियोजनाओं से इस कॉलेज के वित्त पोषण की जानकारी राज्यसभा सांसद इन्दु गोस्वामी को एक प्रश्न के जवाब में मिली। इस स्थिति को देखकर सरकार के दावों पर कैसे और कितना विश्वास किया जा सकता है इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है

DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION
VOCATIONAL & INDUSTRIAL TRAINING
HIMACHAL PRADESH: SUNDERNAGAR

No. STV (TE)HB(2)8/Requisition/GHEC/Bandla-70348 Dated: 21.11.2025

To

The Director/Principal,
JNGEC Sundernagar,
District Mandi, H.P.

Subject: Regarding requirement of faculty of Management.

Sir,

On the subject cited above, it is intimated that the Director/Principal of Govt. Hydro Engineering Bandla, District Bilaspur, has requested for the faculty of Management due to non-availability of said faculty in his Institution.

In this context, you are directed to send Sh. Sandeep Chaudhry, Assistant Professor, Management of your Institution to Govt. Hydro Engineering College Bandla, District Bilaspur for one week w.e.f. 24-11-2025 to 29-11-2025 on urgent basis to take the classes and to cover the remaining portion of syllabus under intimation to this Directorate. Failure to comply with these orders will be viewed seriously and shall entail action as per rules.

Akshey Sood, HPAS
Director
Technical Education
Vocational & Industrial Training
Himachal Pradesh: Sundernagar

Endstt. No. As above. Dated:-
Copy to: - The Director/Principal, Govt. Hydro Engineering College Bandla District Bilaspur, H.P. w.r.t. for information and necessary action.

Akshey Sood, HPAS
Director
Technical Education
Vocational & Industrial Training
Himachal Pradesh: Sundernagar

DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION
VOCATIONAL & INDUSTRIAL TRAINING
HIMACHAL PRADESH: SUNDERNAGAR

No. STV (TE)HB(2)8/Requisition/GHEC/Bandla-70349 Dated: 21st Nov. 2025

To

The Director/Principal,
ABVGIET Pragatinagar,
District Shimla, H.P.

Subject: Regarding requirement of faculty of Computer Science and Engineering.

Sir,

On the subject cited above, it is intimated that the Director/Principal of Govt. Hydro Engineering Bandla, District Bilaspur, has requested for the faculty of Computer Science and Engineering due to shortage of faculty in CSE in his Institution.

In this context, you are directed to send Sh. Anurag Sharma, Assistant Professor, CSE of your Institution to Govt. Hydro Engineering College Bandla, District Bilaspur for one week w.e.f. 24-11-2025 to 29-11-2025 on urgent basis to take the classes and to cover the remaining portion of syllabus under intimation to this Directorate. Failure to comply with these orders will be viewed seriously and shall entail action as per rules.

Akshey Sood, HPAS
Director
Technical Education
Vocational & Industrial Training
Himachal Pradesh: Sundernagar

Endstt. No. As above. Dated:- 21/2025
Copy to: - The Director/Principal, Govt. Hydro Engineering College Bandla District Bilaspur, H.P. w.r.t. for information and necessary action.

Akshey Sood, HPAS
Director
Technical Education
Vocational & Industrial Training
Himachal Pradesh: Sundernagar